राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांक एफ 61(127) PS/ SSAAT/2023/ दिनांक–ई हस्ताक्षरित

दिनांक 10.08.2026 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण

सोसायटी की ओर से सम्पादित किये जाने वाले कार्यो के संबंध में निम्न हस्ताक्षकर्ता की अध्यक्षता मे दिनांक 10.08.2026 को सोसायटी के कार्यो की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में SSAAT के वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष, प्रोग्रामर एवं समस्त राज्य संसाधन व्यक्ति उपस्थित हुए।

पूर्व में दिनांक 01.07.2026 को समस्त अधिकारियो व कर्मचारियों के साथ तथा दिनांक 17.07.2026 व को कार्यालयाध्यक्ष, प्रोग्रामर, राज्य संसाधन व्यक्तियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशो की पालना नहीं किये जाने पर गम्भीरता से लेते हुए कार्यालयाध्यक्ष, प्रोग्रामर व सभी राज्य संसाधन व्यक्तियों को निर्देश दिये कि बैठक के सम्बन्ध में समय पर कार्यवाही विवरण जारी किये जाने के बावजूद भी अनुपालना नहीं किया जाना गंभीर है। इस संबध में कार्यालयाध्यक्ष को निर्देश दिये गये थे कि उक्त बैठको में दिये गये निर्देशों के संबंध में बिन्दवारु/शाखावार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 20.08.2026 तक आवश्यक रूप से पेश करें।

समीक्षा बैठक में बाद विचार विमर्श निम्न निर्देश दिये गये :–

क्र. स.	कार्यवाही विवरण	सम्बन्धित अधिकारी /कार्मिक जिनके द्वारा कार्यवाही की जानी है।
1	कार्यालयाध्यक्ष की ओर से प्रति सप्ताह अपने स्तर पर विभिन्न शाखाओं की समीक्षा बैठक आयोजित कर विधिवत कार्यवाही विवरण जारी करावें तथा पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में निदेशक स्तर पर भी प्रत्येक 15 दिवस में समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।	वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष
2.	सोसायटी की ओर से किये जाने वाले सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में जारी कलैण्डर के बारे में बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी 15 दिवस पूर्व सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर जारी नहीं किया जा रहा है तथा कुछ जिलो में तीनो चरणों के कलैण्डर जारी नहीं किए गये है। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि सामाजिक अंकेक्षण के संबधं में कलैण्डर आवश्यक रूप से 15 दिवस पूर्व जारी करवाये जाने की कार्यवाही की जावें। माह अप्रेल,2026 से माह अगस्त,2026 तक जिन जिलो में सभी चरणों के लिए सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर जारी नहीं हुआ है उन जिलो की सूची मय कारण के आगामी समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	वरिष्ठ लेखाधिकारी /संबंधित राज्य संसाधन व्यक्ति/ जिला प्रभारी
3.	दिनांक 01.07.2026 को आयोजित हुई समीक्षा बैठक में विभाग की ओर से जारी पत्र दिनांक 17.03.2026 में वर्णित निर्देशों की पालना जिला प्रभारी के स्तर से नहीं होने व अन्य बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने को गंभीरता से लेते हुए पुनः राज्य संसाधन व्यक्तियों को निर्देश दिये गये कि सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर संबंधी पत्रावली प्रस्तुत करने से पूर्व दिनांक 01.07.2026 की बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के बाद ही पत्रावली अग्रेषित की जावें।	वरिष्ठ लेखाधिकारी /संबंधित राज्य संसाधन व्यक्ति/ जिला प्रभारी

RajKaj Ref No.:
23984783

Scanned with OKEN Scanner

4.	विभिन्न संसाधन व्यक्तियों की आधार सीडिंग की प्रगति का अवलोकन कर प्रोग्रामर तथा राज्य संसाधन व्यक्तियों को निर्देश दिये गये कि जिन ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों/ग्राम संसाधन व्यक्तियों की आधार सीडिंग अभी तक नहीं हुई है उन ब्लोक संसाधन व्यक्ति/ग्राम संसाधन व्यक्तियों की सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर में किसी भी स्थिति में ड्यूटी नहीं लगाई जावें। प्रोग्रामर द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लॉक संसाधन व्यक्ति/ग्राम संसाधन व्यक्तियों की आधार सीडिंग की सूचना संबंधित जिला प्रभारी को उपलब्ध करा दी गई है। इस संबंध में प्रोग्रामर को निर्देश दिये गये कि सभी राज्य संसाधन व्यक्तियों को भी उनके प्रभार वाले जिले की सूचना सोफ़्ट कोपी में दिनांक 12.08.20206 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।	प्रोग्रामर/ राज्य संसाधन व्यक्ति
5.	नगर निगम/पंचायत चुनाव होने के कारण आगामी माहो में लगने वाली आदर्श आचार संहिता को देखते हुए यह निर्देश दिये गये कि माह सितम्बर,2026 के सभी चरणों हेतु सामाजिक अंकेक्षण का कलैण्डर दिनांक 25.08.2026 से पूर्व आवश्यक रूप से जारी करने की कार्यवाही की जावें। आचार संहिता प्रभावी रहने के कारण ऐसी अन्य योजनाऐं जिनका सोसायटी की ओर से सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है तथा जिनमें सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट का ग्राम सभा में अनुमोदन करवाया जाना आवश्यक नहीं है ऐसी योजनाओं के लिए संबंधित प्रभारी राज्य संसाधन व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर जारी करवाये जाने के संबंध में की जाने वाली समस्त कार्यवाही पूर्ण कर माह अक्टूबर व नवम्बर,2026 के लिए कलैण्डर जारी करवाये जाने की कार्यवाही करें। इस संबंध में की गई तैयारी की अनुपालना रिपोर्ट आगामी समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	वरिष्ठ लेखाधिकारी / राज्य संसाधन व्यक्ति
6.	भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार महात्मा गाँधी नरेगा के तहत सम्पन्न हुए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से करवाये जाने के निर्देश होने के बावजूद भी सभी ग्राम पंचायतो का सामाजिक अंकेक्षण पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से नहीं किया जा रहा है और न ही भारत सरकार की मनरेगा पोर्टल पर ही प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में पुनः निर्देश दिये गये कि पंचायत निर्णय ऐप के कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों का प्रोग्रामर अपने स्तर पर निस्तारण करें यदि समस्या का निराकरण स्थानीय स्तर से नहीं हो पा रहा है तो MORD की आईटी टीम से समन्वय /दूरभाष पर सम्पर्क कर निराकरण करवाये जाने की कार्यवाही करें। प्रभारी राज्य संसाधन व्यक्ति को भी यह निर्देश दिये गये कि पंचायत निर्णय ऐप के कियान्वयन में आ रही तकनिकी कठिनाइयों के संबंध में जिलेवार/प्रकरणवार विवरण प्रोग्रामर को तत्काल उपलब्ध करवायें।	प्रोग्रामर/ श्री इकबालुदीन, राज्य संसाधन व्यक्ति
7.	महात्मा गाँधी योजना के तहत सम्पन्न हुए कार्यो के संबंध में हुई सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में वर्णित चार इश्यूज़ यथा– वित्तीय अनियमितता, वित्तीय विचलन, प्रकियात्मक उल्लंघन व शिकायते व परिवेदनाओं के संबंध में कार्यकारी एजेन्सियो से प्राप्त होने वाली अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) में प्रकियात्मक उल्लंघन तथा शिकायतो व परिवेदनाओं के बारे में प्राप्त हुई अनुपालना रिपोर्ट का संबंधित जिला संसाधन व्यक्तियों की ओर से परीक्षण कर पैराज के निस्तारण की अनुशंसा इस कार्यालय को भिजवाये जाने हेतु माह अप्रेल,2026 व माह जुलाई,2026 में कार्यालय आदेश जारी किये जा चुके है। इसकी पालना संबंधित जिला संसाधन व्यक्ति से करवाने की जिम्मेदारी राज्य संसाधन व्यक्ति की है। राज्य संसाधन व्यक्ति अपने प्रभार वाले जिले के जिला संसाधन व्यक्ति से माह के दौरान निस्तारित किये गये प्रकरणों की संख्या प्राप्त कर आगामी समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।	वरिष्ठ लेखाधिकारी /राज्य संसाधन व्यक्ति

RajKaj Ref No.:
23984783

Scanned with OKEN Scanner

8	सासायटी की वेबसाईट के निर्माण, संधारण तथा विभिन्न माड्यूल बनाये जाने के संबंध में जारी किये गये कार्यादेश के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही करवाई करवाये जाने व अनुबन्धित फर्म द्वारा किये गये कार्य व दिये गये नोटिस के संबंध में प्रोग्रामर को जारी किये गये यू0ओ0नोट के कम में की गई कार्यवाही तथा फर्म की ओर से तैयार कर सोसायटी को उपलब्ध कराये जाने वाले मोड्यूल्स की अद्य तन स्थिति व आगे की जाने वाली कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट आगामी समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।	वरिष्ठ लेखाधिकारी व कार्यालयाध्यक्ष / प्रोग्रामर
9	15वा वित्त आयोग के सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में लम्बित भुगतान व प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट के संबंध में निर्देश दिये गये कि पूर्व में उक्त योजना श्री नरेन्द्र जोशी, राज्य संसाधन व्यक्ति की ओर से संधारित की जा रही थी ऐसी स्थिति में उक्त योजना के सामाजिक अंकेक्षण के लम्बित भुगतान करवाये जाने तथा योजना का प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करेगें। आगें के लिए पूर्व में नियुक्त योजना प्रभारी सोनिया साहू द्वारा उक्त योजना के सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।	वरिष्ठ लेखाधिकारी व कार्यालयाध्यक्ष / संबंधित राज्य संसाधन व्यक्ति
10	NFSA योजना का सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने के संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से प्राप्त हुए पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाने हेतु सोसायटी की ओर से श्री नरेन्द्र जोशी, राज्य संसाधन व्यक्ति नोडल प्रभारी रहेंगे।	श्री नरेन्द्र जोशी, राज्य संसाधन व्यक्ति
11	सोसायटी की ओर से माह विशेष के विभिन्न चरणों हेतु जारी किये जाने वाले सामाजिक अंकेक्षण के कलैण्डर के अनुसार किस जिले में कितनी ग्राम पंचायतो का सामाजिक अंकेक्षण सम्पन्न हुआ है इसके बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाती है। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि संबंधित राज्य संसाधन व्यक्ति अपने प्रभार वाले जिले के संबंध में माहवार /चरणवार सूचना लिखित मे प्रस्तुत करें जिसमें ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के अनुपस्थित रहने, ग्राम पंचायत कार्यालय नहीं खुलने, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संबंधित कार्मिक नहीं मिलने तथा ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकोर्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण निरस्त किये गये सामाजिक अंकेक्षण की प्रथक–प्रथक सूचना प्रस्तुत की जावें।	वरिष्ठ लेखाधिकारी /समस्त राज्य संसाधन व्यक्ति/ जिला प्रभारी

उपरोक्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशो की समयबद्ध पालना किये जाने की सुनिश्चितता करने तथा की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(सांवर मल वर्मा)
निदेशक,SSAAT
दिनांक– ई हस्ताक्षरित

क्रमांक एफ 61(217) PS/ SSAAT/2023/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग
2. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष SSAAT
4. प्रोग्रामर SSAAT
5. राज्य संसाधन व्यक्ति
6. समस्त जिला प्रभारी
7. रक्षित पत्रावली

निदेशक, SSAAT

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date :12-08-2026 01:38:28

RajKaj Ref No.: 23984783

Scanned with OKEN Scanner